05/4/21

आज पत्रावली पेश हुई। मुताबिक [illegible] वादी/वादीगण के वादपत्र सार यह है कि आ०वि० नं० 547 वाके ग्राम जालावास तहसील कुण्डवास जिला अलवर (राज०) के खिलाफ प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादीगण जबरन [illegible] आराजी में डाली हुई लकड़ी को व कच्चे [illegible] हटावे व [illegible] कब्जा को विवादित आराजी में डाल रखे हैं हटाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद [illegible] प्रतिवादीगण उपस्थित अदालत आकर जवाब पेश किया मुताबिक जवाब दावा वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुए कथन रहा कि उक्त आराजी में वादीगण का कोई [illegible] नहीं है इसके करीब 60 [illegible] इसमें कोई रास्ता नहीं है। [illegible] गांव के लोगों की लकड़ी ईंधन आदि पड़े हैं जिन्हें हटवाकर वादीगण कब्जा करना चाहते हैं जिसे हटवाने के लिए सिविल कोर्ट में वाद पेश करना चाहिए राजस्व अदालत [illegible] को सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है आदि-आदि अंकित करते हुए वादीगण के वाद को मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा। प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई/

(1) आया वादीगण हाल आ०वि०नं० 547/0.14 है० किस्म गैर मु० चाही वाके ग्राम जालावास तह० कुण्डवास [illegible] खिलाफ प्रतिवादीगण मुताबिक वाद पत्र के चरण नं० 10 (1) [illegible] के अधिकारी है — वादीगण

(2) आया वादी प्रतिवादी [illegible] के अधिकारी है [illegible]

(3) आया वादी का वाद [illegible] होने के कारण वादपत्र मय खर्चा खारिज किया जावे — जिम्मे प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:20 IST
Reason: SelfAttested

[signature]

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर एवं तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी के समर्थन वादपत्र के समर्थन में रिकार्ड साक्ष्य विक्रय नकल जमाबन्दी सं० 2067 किता 4 प्रदर्श-1, नकल खसरा ट्रेस प्रदर्श-2, नजरी नक्शा प्रदर्श-3, नकल जमाबन्दी सं० 2067 किता 2 प्रदर्श-4, नकल जमाबन्दी सं० 2070 प्रदर्श 5 एवं मौखिक साक्ष्य स्वयं शपथ-पत्र PW-1, मुकेश PW-2, रामोतार PW-3 पेश किये गये। शामिल पत्रावली है। रिकार्ड की गई प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वयं शपथ-पत्र रामचन्द्र DW-1 एवं रामचन्द्र पुत्र [illegible] DW-2 पेश किये एवं शेष साक्ष्य प्रतिवादी एवं लिखित साक्ष्य प्रतिवादी हेतु वकील प्रतिवादी के द्वारा समय चाहे जाने उपरान्त बार-बार बयान उपरान्त बयान समाप्त किया गया। [illegible] बहस सुनी गई।	
	वकील वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं होना एवं किये गये अतिक्रमण, इन्धन एवं [illegible] को हटवाये जाने हेतु निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन करते हुए वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।	
	वकील प्रतिवादी ने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए वकील प्रतिवादी के अतिक्रमण [illegible] विवादित आराजी में कुंआ चाहे है [illegible] चाह का अधिकार [illegible] नहीं है [illegible] प्रस्तुत नक्शा प्रमाणित नहीं है कोई हिस्सेदार है [illegible] 20 फुट [illegible] धारा 251(A) [illegible] रास्ता [illegible] प्रकार मुकदमा बनाया जाना [illegible] करते हुए वादी का दावा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।	
	निम्नलिखित विवादक निम्नानुसार रहा -	
	(1) आया विवादित हाल खाता सं० 547/0.14 है० [illegible] में कुं० चाहे वाके ग्राम [illegible] तहसील मुण्डावर जिला [illegible] खिलाफ	
	उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:20 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

प्रतिवादीगण कुलविक वाद पत्र में कोई विशेष आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं एवं वादीगण अधिकारी है यह तनकी सिद्ध की जा रही है। वादीगण ने अपने वाद पत्र की ताईद में प्रदर्श-1 लगायत 5 एवं मौखिक, लिखित स्वरूप शपथ-पत्र नं० 3 पेश किये हैं। पत्रावली एवं दस्तावेजों के प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन अनुसार विवादित आराजी खातेदार प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर वादग्रस्त ... बाबत किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होने बाबत वादीगण (विधिवत) का प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज एवं आदेशात्मक साक्ष्य (निर्धारित) का प्रस्तुत न्यायालय वादीगण होने एवं वकील की दी गई बहस अनुसार यह न्यायालय इस तनकी को स्वीकार योग्य पाता है।

(2) आया वादी प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर है एवं जब तनकी संख्या एक वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादीगण के निर्णीत होकर वादीगण स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार योग्य पाता है।

(3) आया वादी का वाद कोर्ट फीस नहीं होने के कारण वादपत्र खारिज किया जावे इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है चूंकि तनकी नं० 1, 2 वादीगण के पक्ष में साबित पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादीगण के पक्ष में स्वीकार योग्य पाते हुए यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

(4) अनुतोष – उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के पक्ष में यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में ... तहसील मुण्डावर के खसरा नं० 547 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०) के बाबत के वाद को डिक्री किया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:20 IST
Reason: SelfAttested

किस्म .... मुकदमा नं० .... दिनांक .... मुण्डावर, जि...

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर एवं तारीख अहकाम हुक्म की तामील में जा...
जाता है एवं उक्त विवादित आराजी के बाबत प्रतिवादीगण को सदैव-सदैव के लिए हु०ई० दवामी से पाबन्द किया जाता है कि आराजी जबरन किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करे एवं उक्त आराजी में तर्फ पूर्व में डाली गई कुडी व [illegible] के पास लेट्रिन का कुण्ड बनाकर डाला गया कब्जे को प्रतिवादीगण स्वयं के खर्चे से आवश्यक रूप से हटावे एवं सदैव पाबन्द रहे। तदानुसार पत्र डिक्री जारी हो/पत्रावली का वादशीर्षक कितावे एवं डिक्री का कालम खाली रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो/ नियम से बन्द हो/ बाद तकमील जमा जिला [illegible] दाखिल हो/ सुनाया गया।	
[signature]	
उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 305/2011 दायरा दिनांक :–13.12.2011 निर्णय दिनांक :– 05.04.2021

1. बदलुराम यादव पुत्र श्री ओमकार जाति अहीर
2. सुबेसिंह पुत्र श्री नत्थुराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

.... वादी

बनाम

1. सुलतान सिंह उर्फ श्योताज पुत्र ओमकार जाति अहीर निवसी पेशा कृषि निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0। (मृतक, हजफ)
2. रामचन्द्र पुत्र सुलतानसिंह उर्फ श्योताज सिंह जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. बिजेन्द्रसिंह उर्फ ढीलू पुत्र सुलतान उर्फ श्योताज जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. धारेन्द्रसिंह उर्फ बाबूलाल पुत्र सुलतानसिंह उर्फ श्योताज जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
5. कृष्ण कुमार पुत्र सुलतानन सिह उर्फ श्योताज जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

.... प्रतिवादीगण

दावा ईश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 188
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री धनश्याम यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री महेश चन्द यादव एडवोकट** उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक** 05.04.2021 को **श्री रामसिह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती हैः–**

वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीगण के आराजी खसरा नम्बर 547 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी के बाबत प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिए हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि आराजी जबरन किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नही करे एवं उक्त आराजी में तर्फ पूर्व में डाली गई कुडी व कुडी के पास लेडिन का कुन्डा बनाकर डाला गया फर्मा को प्रतिवादीगण स्वयं के खर्च से आवश्यक रूप से हटावें एवं सदैव पाबन्द रहे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.04.2021 [illegible] लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:20 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0